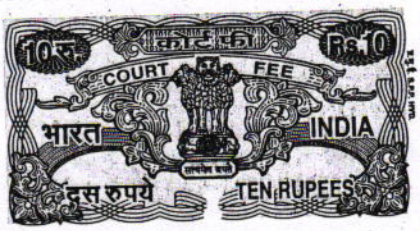

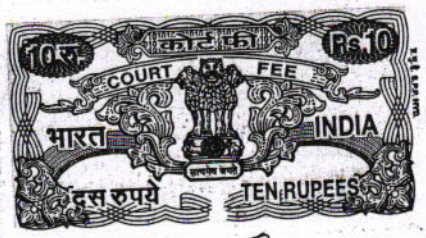

निगरानी 132-PBR/15

समक्ष- श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल कैम्प

पु०क्र० /15

000

1. मुन्ना वल्द भगवानसिंह
2. किशोर वल्द भगवान सिंह
3. प्रकाश चन्द्र वल्द तारू
4. सुभाष वल्द तारू
5. दीपू वल्द तारू
6. इमरतसिंह वल्द जालमसिंह
7. अपराधसिंह वल्द जालमसिंह
8. लक्ष्मणसिंह वल्द जालमसिंह
9. अभयसिंह वल्द जालमसिंह

समस्त निवासी गढ़ा तह० चिचोली तह० जिला बैतूल

--- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

वैभव वल्द रमेश ठेटे जाति सोनी 193/1 विकास नगर वार्ड नंबर 28 बैतूल तह० जिला बैतूल

--- गैर रिविजनकर्ता

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू.रा. संहिता -

श्री प्रमोद इंदोरकर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13-1-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत
[illegible]
13-1-15

[illegible] 14-1-15

XX-(a)-A-89
Rev.-Hindi

राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ति-पत्र

मामला क्रमांक

नकल आवेदन क्रमांक 3835
दिनांक 8/12/14
न्यायालय का नाम - अपर तहसीलदार
प्रकरण क्रमांक -
पक्षकार का नाम -
बाबा

(1)	(2)	(3)
10/11/14	- प्रकरण पेश। - आवेदक उप०। आपत्तिकर्तागण उप०। - प्रकरण अनावेदकगण की उप० एवं [illegible] के प्रतिवेदन हेतु नियत। [signature] आ० पे० 11/11/14	12/11/14
11/11/14	- प्रकरण पेश। - आवेदक उप०। आपत्तिकर्तागण उप० - प्रकरण पूर्ववत् रखा गया। [signature] आ० पे० 19/11/14	19/11/14
19/11/14	- प्रकरण पेश। - आवेदक सहित अधिवक्ता उप०। - आपत्तिकर्ता - अधिवक्ता P. वागद्रे सहित उप०। - आपत्तिकर्ता अधिवक्ता को आवेदन की प्रति, राजिस्ट्री आदि की कापी आवेदक द्वारा प्रदान कराई गई। - प्रकरण आवेदन के जवाब एवं अनावेदकों की उप० हेतु नियत। [signature] आ० पे० 2/1/14	21/11/14

सत्यप्रतिलिपि
[signature] 9/12/14
प्रतिलिपि
शाखा बैतूल

Rs.2 COURT FEE INDIA TWO RUPEES

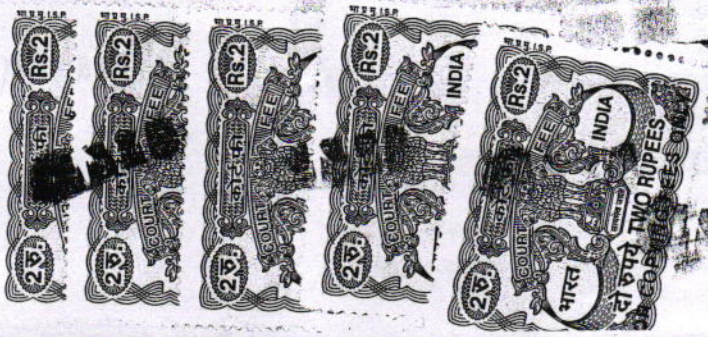

(1)	(2)	(3)
21/11/14	— आवेदक सहित श्री बड़ोनिया अधिवक्ता उपस्थित आपत्ति कर्ता की ओर से श्री वागद्रे अधिवक्ता उपस्थित आपत्तिकर्ता श्री वागद्रे के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश नियम आदेश-1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया । आवेदक अधिवक्ता के द्वारा जवाब व्यक्त नहीं करते हुए मौखिक विरोध कर आवेदन पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की नामान्तरण प्रकरण मे प्रस्तावित पक्षकार बनाये जाने का आवेदक अधिवक्ता के द्वारा विरोध किया गया । उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये । प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए आपत्ति कर्ता के द्वारा आदेश-1 नियम 10 सी.पी. सी का आवेदन निरस्त किया जाता है । आपत्तिकर्ता अधिवक्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । आवेदन अधिवक्ता के द्वारा तर्क किया गया कि आवेदक के द्वारा क्रय शुदा भूमि पर राजस्व अभिलेख मे पांचसाला खसरा किश्तबंदी मे नाम दर्ज है । उसी के आधार पर भूमि क्रय की गई है । आपत्तिकर्ता के द्वारा लगायी गयी आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत राजस्व अभिलेख व्यवस्थित रखना कर्तव्य है । इस प्रकरण मे विक्रेता के द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर आवेदक को भूमि विक्रय की गई है इसलिये नामान्तरण नहीं रोका जा सकता । यदि किसी प्रकार की आपत्ति अथवा स्वत्व का प्रश्न है वह न्यायालय से निराकरण करा सकता है । उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है नामान्तरण प्रकरण मे इस आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है । अतः आपत्ति निरस्त की जाती है । प्रकरण मे आवेदक के अनावेदक के कथन अंकित किये गये । प्रकरण मे सलग्न तथा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन हेतु । नायब तहसीलदार बैतूल	

सत्यप्रतिलिपि
12/12/14
प्रतिलिपिकार
... बैतूल

3835

1 आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक
2 दिनांक जिस पर आवेदक कर्ता को उपस्थित होने के लिए कहा गया । 3/12/14
3 दिनांक जिस पर आवेदक कर्ता ...
4 दिनांक जिस पर ... अभिलेख सहित ... 3/12/14 ... 2/...
5 दिनांक जिस पर ... अभिलेख प्राप्त हुआ ...
6 दिनांक जिस पर ... कर्ता को ... विज्ञप्ति के हेतु ... दी गई ।
7 दिनांक जिस पर आवेदक कर्ता को अधिक ... देने हेतु सूचना ... गई ।
8 दिनांक जिस ... 6 व 7 में ... गई सूचना ... 12/12/14
9 दिनांक जिस पर प्रतिलिपि तैयार हुई ।
10 दिनांक जिस पर प्रतिलिपि प्रेषित की गई ।
11 वसूल किया न्यायालय शुल्क 10

प्रतिलिपिकार
... कार्या. बैतूल 12/12/14

मुन्ना / वैसाख
R-132-PBR/15

26.11.15	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।	आदेश

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.